

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी-श्री यशार्थ शेखर, आई.ए.एस

क्रमांक रीडर/2025/ 6895
प्रार्थी

1 हुक्मचन्द पुत्र आत्माराम
जाति मेघवाल निवासी भीमडा
तहसील बाटाडू जिला
बाडमेर।

बनाम

अप्रार्थीगण

दिनांक - 20.08.25

1 मखणाराम 2 उकाराम पिसरान मजनाराम 3
अचलाराम पुत्र तेजाराम 3 समदा देवी पत्नि
खमाराम 5 करनाराम के वारिशान 1 शान्ति देवी
पत्नि करनाराम 2 खेताराम 3 रावताराम पिसरान
करनाराम जाति मेघवाल निवासी भीमडा तहसील
बाटाडू 6 जोगाराम पुत्र लीलाराम जाति मेघवाल
निवासी रतनाली नाडी, भीमडा तहसील बाटाडू
जिला बाडमेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 129/2025

दिनांक- 07/08/2025

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा भीमडा पटवार हल्का भीमडा तहसील बाटाडू जिला बाड़मेर के खेत
खसरा संख्या 737/217 रकबा 0.9627 हैक्टेयर, भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते
हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाटाडू को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी
कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि
निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा
जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे।
कमीशनर शुल्क रुपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो
प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(यशार्थ शेखर)

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

दिनांक- 20.08.25

क्रमांक :- रीडर/2025/ 6896 - 99

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाटाडू पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी भीमडा तहसील बाटाडू को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी हुक्मचन्द पुत्र आत्माराम जाति मेघवाल निवासी भीमडा तहसील बाटाडू जिला बाडमेर।
4. विप्रार्थीगण मखणाराम पुत्र मजनाराम वगैराह त मेघवाल निवासी भीमडा तहसील बाटाडू जिला बाडमेर।

उपखण्ड अधिकारी,
उप खण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

